भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 534
गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 (17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मंगलौर विमानपत्तन के लिए 'प्वाइंट ऑफ कॉल' स्थिति

534. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मंगलौर विमानपत्तन को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों कोड साझा कर सकें और कनेक्टिविटी में वृद्धि कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मंगलौर विमानपत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है जिनमें 9 जनवरी, 2025 को किए गए अनुरोध के अनुसार सुरक्षा संवर्द्धन हेतु अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण और विमानपत्तन की क्षमता को कोड डी से कोड ई में उन्नत करने के लिए इसके विस्तार हेतु सौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है, ताकि प्रत्येक लैंडिंग में 356 यात्रियों वाले विमान की लैंडिंग की अनुमति प्रदान की जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानपत्तन की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए उक्त प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): एयरलाइनों का अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रचालन, भारत तथा संबंधित देशों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों (एएसए) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक, पारस्परिक रूप से सहमत क्षमता सीमा के अनुसार, मैंगलौर सहित भारत में किसी भी प्वाइंट तक/से किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के लिए प्रचालन कर सकते हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में किसी भी प्वाइंट तक/से उड़ान का प्रचालन कर सकती है, बशर्ते उसे एएसए में प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में नामित किया गया हो।

वर्तमान में, भारत सरकार, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने घरेलू प्रचालन के माध्यम से, गैर-मेट्रो प्वाइंट से भारतीय वाहकों द्वारा और अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को बढ़ावा देती है। तदनुसार, मैंगलौर सहित किसी नए गैर-मेट्रो प्वाइंट को एएसए में किसी भी अन्य देश के लिए पीओसी निर्धारित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बेहतर परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमएआईएएल) को पट्टे पर दे दिया है। एमएआईएएल ने रनवे सेफ्टी बेसिक स्ट्रिप और रनवे छोर सुरक्षा क्षेत्र के लिए 32.97 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत किया था।तत्पश्चात, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने कर्नाटक सरकार (जीओके) से यह भूमि एएआई को निःशुल्क सौंपने का अनुरोध किया था। तथापि, कर्नाटक सरकार ने इसके लिए सहमति नहीं दी क्योंकि मैंगलोर हवाईअड्डे का प्रचालन पीपीपी के तहत किया जा रहा है। तत्पश्चात, एएआई को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) के दिशानिर्देशों के अनुसार मामले का समाधान करने का निदेश दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता शुल्क पर कोई भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हुए हवाईअड्डे के प्रचालन सुरक्षा और दक्षता को बनाए रखा जाए।

जहां तक कोड-ई परिचालनों के लिए रनवे के विस्तार का विषय है, एमएआईएएल से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****